

Envel

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 5128

दिनांक: 10/7/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।

विषय :- नगरपालिका निर्वाचनों में दोष सिद्धी एवं विचाराधीन अपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु संशोधित घोषणा पत्र का प्रारूप प्रेषित करने बाबत।

प्रसंग :- आयोग का पत्रांक 4024 दिनांक 16.09.2014

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अन्तर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों, पांच वर्ष या इससे अधिक दण्डनीय अपराधों के लिए विचाराधीन मुकदमों, जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हों और न्यायालय ने जिसके विरुद्ध संज्ञान ले लिया हो, ऐसे व्यक्ति को सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित माना गया है। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 117/110 के अधीन संस्थित कार्यवाही के अन्तर्गत प्रतिभूति देने का आदेश यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया है तो, उस प्रतिभूति की कालावधि के लिए भी वह व्यक्ति निरर्हित माना गया है।

नगरपालिका चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा दोषसिद्ध एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए घोषणा पत्र का प्रारूप आयोग के आदेश क्रमांक प 4(1)(10) नपा/रानिआ/94/7900 दिनांक 24.07.2000 के द्वारा निर्धारित किया गया था, जो नगरपालिका आम चुनाव माह नवम्बर, 2014 के समय प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया गया था। उक्त प्रासंगिक पत्र क्रमांक 4024 दिनांक 16.09.2014 नगरपालिका चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2014 पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 107-111 पर उपलब्ध है।

इसी क्रम में एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8230/14 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 21.11.2014 को पारित किए गए निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दोषसिद्ध एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु निर्धारित घोषणा पत्र में यथोचित संशोधन करने हेतु सुझाव प्रदान गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रदत्त सुझाव के क्रम में आयोग द्वारा दोषसिद्ध एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु निर्धारित घोषणा पत्र के द्वितीय भाग में यथोचित संशोधन किया गया है। संशोधित घोषणा पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भी तुरन्त अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

20.07.2015
(अशोक कुमार जैन)
सचिव
दिनांक: 10/7/15

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 5129-30

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, नगरपालिका चुनाव मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।


(धारा सिंह मीना)
सहायक सचिव

भाग-II

पांच वर्ष या पांच वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय निम्नलिखित आपराधिक मामला/मामले मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

क्र. सं.	अपराध/अपराधों का संक्षिप्त विवरण (मुकदमा संख्या, संबंधित अधिनियम एवं धारा)	न्यायालय जिसके/जिनके द्वारा आरोप/आरोपों की विरचना की गई	तारीख/तारीखें जिनको आरोप विरचित किए गए थे	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी (Stay) गई है/हैं

स्थान:-

तारीख:-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त भाग-I के मद संख्या 1 से 3 एवं भाग-II में मेरे द्वारा जो उपरोक्त कथन दिये गये हैं, वे मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और इनमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना को मैं सत्यापित करता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता :

.....

साक्षी के हस्ताक्षर

पता :

**नगरपालिका चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए
दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना बाबत घोषणा पत्र का प्रारूप**

नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/निगमके सदस्य पद के चुनाव

अभ्यर्थी का नाम :

पिता/पति का नाम :

भाग-I

1.	क्या अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है ? यदि हाँ, तो निम्न विवरण देवे:- (क) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दोषसिद्ध किया गया है ? (ख) दोषसिद्ध करने की तारीख (ग) किस अपराध में दोषसिद्ध किया गया है (संबंधित धारा व अधिनियम का विवरण अंकित करें) (घ) दिए गए दण्डादेश (सजा) का विवरण (ङ) कारावास से मुक्ति की तारीख	: हाँ/नहीं : : : : : :
2.	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरावलोकन का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण देवे:- (क) जिस न्यायालय में अपील/पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस न्यायालय का नाम (ख) अपील संख्या/प्रार्थना पत्र संख्या (ग) क्या उपरोक्त अपील या पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है अथवा उसका निस्तारण हो चुका है (घ) यदि अपील/पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो चुका है तो निस्तारण की तारीख तथा आदेश की प्रकृति बतावें (ङ) अपील अथवा पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए क्या दोषसिद्धि (Conviction) को स्थगित (Stayed) किया गया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें	: हाँ/नहीं : : : निस्तारित/विचाराधीन : : : : : :
3.	क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117 के अधीन कोई आदेश संहिता की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाही के पारित किया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण देवे :- (क) न्यायालय का नाम (ख) आदेश पारित करने की तारीख (ग) अवधि जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है (घ) क्या ऐसा आदेश बाद में उलट दिया गया है और उलट दिया गया है तो किस न्यायालय द्वारा व कब ? विवरण दें	: हाँ/नहीं : : : : : :